पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

चर्चा में क्यों?

बिहार के [राज्यपाल](#) ने **न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली** को **पटना के राजभवन** में **पटना** [उच्च न्यायालय](#) के **45वें मुख्य न्यायाधीश** के रूप में शपथ दिलाई।

- उन्होंने **न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन** का स्थान लिया, जिन्हें [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) में **पदोन्नत** किया गया था। इससे पहले, **न्यायमूर्ति विपुल पंचोली** ने **गुजरात उच्च न्यायालय** में **अधिवक्ता** के रूप में तथा **गुजरात उच्च न्यायालय** और **पटना उच्च न्यायालय** दोनों में **न्यायाधीश** के रूप में कार्य किया था।

मुख्य बिंदु

पटना उच्च न्यायालय के बारे में

- **निर्माण**:
  - **पटना उच्च न्यायालय** की स्थापना वर्ष **1912** में **भारत के गवर्नर-जनरल** द्वारा जारी एक घोषणा के तहत की गई थी, जिसने **बिहार और उड़ीसा** को एक **अलग प्रांत** का दर्जा दिया।
  - इस उच्च न्यायालय भवन की **आधारशिला 1 दिसंबर 1913** को भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल **लॉर्ड हार्डिंग** द्वारा रखी गई थी।
  - इस उच्च न्यायालय के **पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैंप्स चैमियर** थे, जिन्होंने मार्च 1916 से अक्तूबर 1917 तक कार्य किया।
- **स्वतंत्रता के बाद**:
  - **वर्ष 1950** में भारत के **गणतंत्र बनने** के बाद, **पटना उच्च न्यायालय** का **अधिकार क्षेत्र** बढ़ा दिया गया, जिससे उसे भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 226** के तहत [रिट जारी करने](#) की अनुमति मिल गई।
  - स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश **सर क्लिफोर्ड मोनमोहन अग्रवाल** थे, जिन्होंने **जनवरी 1948 से जनवरी 1950** तक कार्य किया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना और नियुक्ति

- **संरचना:**
  - प्रत्येक **उच्च न्यायालय** में एक **मुख्य न्यायाधीश** और [राष्ट्रपति](#) द्वारा निर्धारित अन्य **न्यायाधीश** होते हैं।
  - राष्ट्रपति, **उच्च न्यायालय के कार्यभार** के आधार पर उसके **सदस्यों की संख्या** निर्धारित करते हैं।
- **नियुक्ति:**
  - **उच्च न्यायालय** के न्यायाधीश की नियुक्ति **संविधान के अनुच्छेद 217** के तहत **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।
  - **मुख्य न्यायाधीश** की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा **भारत के मुख्य न्यायाधीश** और **संबंधित राज्य के राज्यपाल** के **परामर्श** के बाद की जाती है।
  - न्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संबंधित **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** से भी परामर्श किया जाता है।
    - **दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही उच्च न्यायालय** होने की स्थिति में, राष्ट्रपति द्वारा सभी संबंधित राज्यों के **राज्यपालों** से परामर्श किया जाता है।
  - **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** को शपथ उस राज्य के **राज्यपाल** द्वारा दिलाई जाती है।
- **योग्यताएँ:**
  - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये:
    - वह **भारत का नागरिक** होना चाहिये।
    - उसे भारत के क्षेत्र में **दस वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य** करना चाहिये, या

- उसे **दस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों)** में **अधिवक्ता** होना चाहिये।

- **न्यूनतम आयु:**
    - संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।
- **न्यायाधीशों का कार्यकाल:**
    - उच्च न्यायालय के न्यायाधीश **62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रह सकते हैं।**

भारत में उच्च न्यायालय

- **स्थिति:**
    - भारत की **न्यायिक प्रणाली** में **उच्च न्यायालय**, **सर्वोच्च न्यायालय** से नीचे तथा **अधीनस्थ न्यायालयों** से ऊपर कार्य करता है।
    - **उच्च न्यायालय** राज्य का **सर्वोच्च न्यायिक निकाय** है। *(भारत में कुल* **25 उच्च न्यायालय** *???)*।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
    - **प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय**:
        - भारत का **संविधान**, प्रत्येक राज्य के लिये एक **उच्च न्यायालय** का प्रावधान करता है (**अनुच्छेद 214**)।
    - **संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान**:
        - **अनुच्छेद 231** में प्रावधान है कि **संसद**, कानून द्वारा **दो या अधिक राज्यों** के लिये अथवा **दो या अधिक राज्यों और एक केंद्रशासित क्षेत्र** के लिये एक **उच्च न्यायालय** की स्थापना कर सकती है।
    - **क्षेत्राधिकार**:
        - **प्रादेशिक क्षेत्राधिकार** राज्य के **क्षेत्राधिकार** के साथ **सह-समाप्त** होता है (या एक सामान्य उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधित राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार के साथ **सह-समाप्त** होता है)।
    - **अनुच्छेद 214 से 231**:
        - ये अनुच्छेद **उच्च न्यायालयों के संगठन**, **स्वतंत्रता**, **अधिकार क्षेत्र**, **शक्तियों** और **प्रक्रियाओं** से संबंधित हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-chief-justice-of-patna-high-court-appointed